

निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या : सेवायें-3(3)/ **352** / वा0स्था / 2026-27, दिनांक : **27** अगस्त, 2026

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानानुसार गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017, शासनादेश संख्या 410684/XXX(2)/2026-E-26941, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 06.07.2026, शासनादेश संख्या 410893/XXX-B-1/2026/13(12)/2011 TC-1, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01, दिनांक 07.07.2026, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्रांक:सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27, दिनांक 10-07-2026 एवं वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17 (1) ख (एक से पांच) में निहित व्यवस्था के कम में निम्नांकित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान ₹ 56100-177500, लेवल-10) का उसी पद एवं वेतनमान में "अनुरोध के आधार पर निजी व्यय" पर निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र. सं.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यरत कार्यालय/विद्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	श्री भरत सिंह बर्वाल	कार्या. खण्ड शिक्षा अधिकारी, मोरी उत्तरकाशी	रा.इ.का. बड़कोट नौगांव उत्तरकाशी	धारा 17(1)(ख) (एक)	उपलब्ध रिक्त पद पद
2	जसपाल सिंह पंवार	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी ताड़ीखेत अल्मोड़ा	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी जसपुर, काशीपुर, ऊ.सिं.न	धारा 17 (1)(ख) (एक)	—तदैव—
3	श्री राकेश भट्ट	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी बागेश्वर, बागेश्वर	कार्या. खण्ड शिक्षा अधिकारी नैनीडांडा पौ.ग.	धारा 17 (1) (ख) (पांच)	—तदैव—

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

01. समस्त स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
02. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
03. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

(के.एस. रावत) 27/8/26
निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

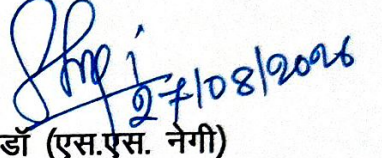
पृ0सं0/सेवायें-3(3)/ **4557-71**

/ वा0स्था / 2026-27, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) कुमाऊं मण्डल नैनीताल।

7. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि./मा.शि.) सम्बन्धित जनपद।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
11. खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकासखण्ड। (द्वारा मु.शि.अ)
12. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे स्थानान्तरित कार्मिक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। यदि संबंधित कार्मिक SIR कार्य में तैनात हों तो ऐसे कार्मिक को SIR कार्य समाप्ति के उपरान्त ही नवीन स्थानान्तरण स्थल हेतु कार्यभार से मुक्त करेंगे।
13. सम्बन्धित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी।
14. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय गार्ड फाईल।


डॉ (एस.एस. नेगी)

उप निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा, देहरादून

निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या : सेवायें-3(3)/ 353 / वा0स्था / 2026-27, दिनांक : 27 अगस्त, 2026

विज्ञप्ति / स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानानुसार गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017, शासनादेश संख्या 410684/XXX(2)/2026-E-26941, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 06.07.2026, शासनादेश संख्या 410893/XXX-B-1/2026/13(12)/2011 TC-1, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01, दिनांक 07.07.2026, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्रांक:सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27, दिनांक 10-07-2026 एवं वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17 (1) ख (एक से पांच) में निहित व्यवस्था के क्रम में निम्नांकित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान ₹ 47600-151100, लेवल-08) का उसी पद एवं वेतनमान में "अनुरोध के आधार पर निजी व्यय" पर निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र. सं.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यरत कार्यालय/विद्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01.	श्री प्रेम चन्द	अ0उ0रा0इ0का0 रुदपुर, सितारगंज, उ.सि.न.	रा0इ0का0 सैलानीगोट, चम्पावत	धारा 17(1)(ख) (एक)	उपलब्ध रिक्त पद पर
02.	श्री गिरीश चन्द्र सिंह नयाल	रा0इ0का0 काफलीगैर बागेश्वर	रा0इ0का0 डीनापानी अल्मोड़ा	धारा 17(1)(ख) (एक)	-तदैव-
03.	श्री पंकज नेगी	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तराखण्ड	कार्या0 खण्ड शिक्षा अधिकारी कोट, पौड़ी	धारा 17(1)(ख) (एक)	-तदैव-
04.	श्री मनोहर	खण्ड शिक्षा अधिकारी रुड़की, हरिद्वार	उ.वि.शि.प. रामनगर, नैनीताल	धारा 17(1)(ख) (एक)	-तदैव-
05.	श्री ओम प्रकाश सेमवाल	पी.एम.श्री. रा.इ.का. मैण्डखाल, टि0ग0	कार्या0 मुख्य शिक्षा अधिकारी टि0ग0	धारा 17(1)(ख) (एक)	-तदैव-
06.	श्रीमती मंजू सैनी	खण्ड शिक्षा अधिकारी लक्सर, हरिद्वार	कार्या. खण्ड शिक्षा अधिकारी भगवानपुर, हरिद्वार	धारा 17(1)(ख) (एक)	-तदैव-
07.	संगीता साह	कार्या0 ख0शि0अधि0 धारी, नैनीताल	रा0बा0इ0का0 बनभूलपुरा, हल्द्वानी नैनीताल	धारा 17(1)(ख) (एक)	-तदैव-
08.	श्री श्रीप्रकाश खुल्बे	कार्या. मुख्य शिक्षा अधिकारी, बागेश्वर	रा0बा0इ0का0 द्वाराहाट अल्मोड़ा	धारा 17(1)(ख) (एक)	-तदैव-
09.	श्री गिरिजा शंकर पन्त	मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार	रा.इ.का. बरहैनी बाजपुर, ऊधम सिंह नगर	धारा 17(1)(ख) (एक)	-तदैव-
10.	श्री सुधीर सिंह राठौर	कार्या0 खण्ड शिक्षा अधिकारी मुनस्यारी पिथौ.	कार्या. जि.शिक्षा.(मा.शि.) उधम सिंह नगर	धारा 17(1)(ख) (चार)	-तदैव-
11.	श्रीमती पल्लवी बलोनी	रा.इ.का. भटाड, चकराता, देहरादून	कार्या खण्ड शिक्षा अधिकारी विकासनगर, देहरादून	धारा 17(1)(ख) (चार)	-तदैव-
12.	श्री विजयपाल सिंह	रा0इ0का0 कुशरानी तल्ली, चमोली	कार्या0 ख0शि0अधि0 यमकेश्वर, पौड़ी	धारा 17(1)(ख) (चार)	-तदैव-

क्र. सं.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यरत कार्यालय/विद्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
13.	श्रीमती कुसुम राठौर	श0कै0ब0कै0अ0उ0रा0इ0का0 सलौज, अल्मोड़ा	पी0एम0श्री रा0इ0का0 खूंट, अल्मोड़ा	धारा 17(1)(ख) (चार)	उपलब्ध रिक्त पद पर
14.	वीरेन्द्र कुमार पाण्डेय	अ0उ0रा0इ0का0 कैलाखेडा, बाजपुर, ऊ0सि0न0	कार्या0 ख0शि0अ0 गदरपुर, ऊधम सिंह नगर	धारा 17(1)(ख) (चार)	-तदैव-
15.	श्रीमती प्रमिला कुमारी	रा0इ0का0 पुभाऊँ लमगड़ा अल्मोड़ा	जी.जी.आई. सी.सुल्तानपुर बाजपुर उ.सि.नगर	धारा 17(1)(ख) (पांच)	-तदैव-
16.	श्रीमती विनीता ध्यानी	रा0इ0का0 थलीसैण, पौड़ी गढ़वाल	रा0इ0का0 सुखरौ कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल	धारा 17(1)(ख) (पांच)	-तदैव-
17.	श्रीमती उषा चमोली	अ.उ.रा.इ.का. तलवाड़ी, चमोली	रा0इ0का0 पथरी, बहादुरबाद, हरिद्वार	धारा 17(1)(ख) (पांच)	-तदैव-
18.	श्री विवेक रावत	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) रूद्रप्रयाग	कार्या0 खण्ड शिक्षा अधिकारी खानपुर, हरिद्वार	धारा 17(1)(ख) (पांच)	-तदैव-
19.	श्रीमती कौशल्या मट्टूडा	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बड़कोट उत्तरकाशी	कार्या0 खण्ड शिक्षा अधिकारी डुण्डा उत्तरकाशी	धारा 17(1)(ख) (पांच)	-तदैव-
20.	श्री बीरेन्द्र दत्त रतुड़ी	कार्या0 खण्ड शिक्षा अधिकारी देवाल, चमोली	अपर निदेशक (मा0शि0) गढ़वाल मण्डल पौड़ी	धारा 17(1)(ख) (पांच)	-तदैव-

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

01. समस्त स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
02. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
03. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

(के.एस. रावत)
अपर निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

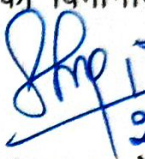
पृ0सं0/सेवायें-3(3)/ 4572-4586

/वा0स्था/2026-27, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
05. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
07. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।

08. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि./मा.शि.) सम्बन्धित जनपद।
09. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
11. खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकासखण्ड। (द्वारा मु.शि.अ)
12. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित कार्मिक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। यदि संबंधित कार्मिक SIR कार्य में तैनात हों तो ऐसे कार्मिक को SIR कार्य समाप्ति के उपरान्त ही नवीन स्थानान्तरण स्थल हेतु कार्यभार से मुक्त करेंगे।
13. सम्बन्धित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी।
14. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय गार्ड फाईल।


27/08/2026

डॉ (एस.एस. नेगी)

उप निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा, देहरादून

निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या : सेवायें-3(3)/ 354 / वा0स्था / 2026-27, दिनांक : 27 अगस्त, 2026

विज्ञापित/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानानुसार गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017, शासनादेश संख्या 410684/XXX(2)/2026-E-26941, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 06.07.2026, शासनादेश संख्या 410893/XXX-B-1/2026/13(12)/2011 TC-1, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01, दिनांक 07.07.2026, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्रांक:सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27, दिनांक 10-07-2026 एवं वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17 (1) ख (एक से पांच) में निहित व्यवस्था के क्रम में निम्नांकित प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान ₹ 44900-142400, लेवल-07) का उसी पद एवं वेतनमान में "अनुरोध के आधार पर निजी व्यय" पर निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र. सं.	प्रशासनिक अधिकारी का नाम	वर्तमान कार्यरत कार्यालय/विद्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अव्यक्ति
1	2	3	4	5	6
01.	श्रीमती रीना राय	उपशिक्षा अधिकारी ओखलकांडा नैनीताल	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी भिलंगना, टिहरी गढ़वाल	धारा 17(1)(ख) (एक)	उपलब्ध रिक्त पद पर
02.	श्री जगमोहन सिंह खाती	रा0इ0का0 खेती धौलादेवी, अल्मोड़ा	रा0इ0का0 फूलचौड़, नैनीताल	धारा 17(1)(ख) (चार)	-तदैव-
03.	श्रीमती निरंजना ज्याला	रा0इ0का डोर मुनस्यारी पिथौरागढ़	कार्या. जिला. शिक्षा. अधि. मा.शि. विण पिथौरागढ़	धारा 17(1)(ख) (पांच)	-तदैव-
04.	श्रीमती दुर्गा तिवारी	रा0इ0का0 शहरफाटक लमगड़ा अल्मोड़ा	अ0उ0रा0इ0का0 रुद्रपुर उ.सि.न	धारा 17(1)(ख) (पांच)	-तदैव-
05	श्रीमती सुमित्रा कुमारी	कार्या. उप शिक्षा अधिकारी कनालीछीना पिथौरागढ़	रा.इ.का कोटाबाग नैनीताल	धारा 17(1)(ख) (पांच)	-तदैव-

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

01. समस्त स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
02. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
03. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

(के.एस. रावत)

अपर निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पू0सं0/सेवायें-3(3)/ 4587-4601

/वा0स्था/2026-27, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

02. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
05. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
07. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
08. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि./मा.शि.) सम्बन्धित जनपद।
09. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
11. खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकासखण्ड। (द्वारा मु.शि.अ)
12. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित कार्मिक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। यदि संबंधित कार्मिक SIR कार्य में तैनात हों तो ऐसे कार्मिक को SIR कार्य समाप्ति के उपरान्त ही नवीन स्थानान्तरण स्थल हेतु कार्यभार से मुक्त करेंगे।
13. सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारी।
14. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय गार्ड फाईल।

 27/08/2026

डॉ (एस.एस. नेगी)

उप निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा, देहरादून

निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

आदेश संख्या : सेवायें-3(3)/ 355 / वा0स्था / 2026-27, दिनांक : 27 अगस्त, 2026

विज्ञप्ति/स्थानान्तरण

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के प्राविधानानुसार गठित विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति तथा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017, शासनादेश संख्या 410684/XXX(2)/2026-E-26941, कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 06.07.2026, शासनादेश संख्या 410893/XXX-B-1/2026/13(12)/2011 TC-1, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01, दिनांक 07.07.2026, महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्रांक:सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27, दिनांक 10-07-2026 एवं वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम की धारा-17 (1) ख (एक से पांच) में निहित व्यवस्था के कम में निम्नांकित प्रधान सहायक (वेतनमान ₹ 35400-112400, लेवल-06) का उसी पद एवं वेतनमान में "अनुरोध के आधार पर निजी व्यय" पर निम्नांकित विवरणानुसार उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय/विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है :-

क्र. सं.	प्रधान सहायक का नाम	वर्तमान कार्यरत कार्यालय/विद्यालय	नवीन तैनाती स्थल	स्थानान्तरण का प्रकार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01.	श्री सुरेश चन्द्र आर्य	कार्या0 खण्ड शिक्षा अधिकारी बीरोंखाल, पौ.ग	रा0इ0का0 गुलरघट्टी रामनगर नैनीताल	धारा 17(1)(ख) (एक)	उपलब्ध रिक्त पद पर
02.	श्रीमती बबली	खण्ड शिक्षा अधिकारी खटीमा, उ.सि.न.	जि0शि0एवं प्रशिक्षण संस्थान रुड़की हरिद्वार	धारा 17(1)(ख) (एक)	-तदैव-
03.	श्री नरेश चन्द्र अवस्थी	रा.इ.का. ओडाडा, नरेन्द्रनगर, टि.ग.	कार्या. जि.शि.अ. (प्रा.शि.) उत्तरकाशी	धारा 17(1)(ख) (एक)	-तदैव-
04.	श्री रविन्द्र सिंह रावत	रा0इ0का0 उफरैखाल थलीसैण पौ.ग.	कार्या0 उप शिक्षा अधिकारी दुगड़डा पौ.ग.	धारा 17(1)(ख) (एक)	-तदैव-
05.	श्री काशी प्रसाद नौटियाल	रा0इ0का0 टिकोची उत्तरकाशी	डायट बड़कोट उत्तरकाशी	धारा 17(1)(ख) (एक)	-तदैव-
06.	श्रीमती युक्ति	रा0इ0का0 रानागीठ नौगांव उत्तरकाशी	कार्या0 मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तरकाशी	धारा 17(1)(ख) (चार)	-तदैव-
07.	श्री अंकित रावत	रा0इ0का0 फरसाड़ी वि0ख0-बीरोंखाल पौ.ग.	रा0इ0का0 गडीगांव पौड़ी गढ़वाल	धारा 17(1)(ख) (चार)	-तदैव-
08.	श्री मनीष थपलियाल	शि0बं0रा0इ0का0 डाबरी वि0ख0-रिखणीखाल पौ.ग.	रा0इ0का0 नकोट चम्बा, टि.ग.	धारा 17(1)(ख) (चार)	-तदैव-
09.	श्रीमती संध्या	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) टिहरी गढ़वाल	रा.इ.का. मेहरावना, देहरादून	धारा 17(1)(ख) (पांच)	-तदैव-

स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित कार्मिकों के संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:-

01. समस्त स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर स्थानान्तरित स्थल पर कार्यभार ग्रहण करेंगे।
02. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।



03. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे, तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि (joining time) का ही उपभोग कर सकेंगे।

(कै.एस. रावत)
अपर निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0/सेवायें-3(3)/

4602-4616

/वा0स्था/2026-27, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
03. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
04. निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
05. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
06. अपर निदेशक, (प्रा.शि./मा.शि.) कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
07. मुख्य शिक्षा अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
08. जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि./मा.शि.) सम्बन्धित जनपद।
09. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सम्बन्धित जनपद, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अधिकारी, विद्यालयी शिक्षा सम्बन्धित जनपद उत्तराखण्ड।
11. खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी संबंधित विकासखण्ड। (द्वारा मु.शि.अ)
12. सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित कि वे स्थानान्तरित कार्मिक को आदेश निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के अन्दर कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें। यदि संबंधित कार्मिक SIR कार्य में तैनात हों तो ऐसे कार्मिक को SIR कार्य समाप्ति के उपरान्त ही नवीन स्थानान्तरण स्थल हेतु कार्यभार से मुक्त करेंगे।
13. सम्बन्धित प्रधान सहायक।
14. एम0आई0एस0 प्रभारी को इस निर्देश के साथ कि वे उक्त स्थानान्तरण आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
15. कार्यालय गार्ड फाईल।

डॉ (एस.एस. नेगी)

उप निदेशक

प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड

ननूरखेड़ा, देहरादून